




कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद
विज्ञप्ति- वास्ते यूपीएस बैटरी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय से बजट प्राप्ति की प्रत्याशा में यूपीएस बैटरी की सं०- 102 (एक सौ दो), (ओकाया, ल्यूमिनस एवं ऐमरोन) जिसकी दो वर्ष की वारन्टी हो, कय करने हेतु दिनांक 27.10.2015 को 12:00 बजे तक सील बन्द टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन समय 04:00 बजे कय समिति द्वारा खोले जायेंगे। नियत समय के पश्चात प्राप्त टेण्डरों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। टेण्डर हेतु धरोहर धनराशि मुव० 5000/-रु० नजारत में जमा करनी होगी, जो टेण्डर स्वीकृत न होने की दशा में उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में वापस कर दी जायेगी। बैटरी का विवरण व टेण्डर की नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ऑफिसियल वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in एवं शासन की ऑफिसियल वेबसाइट www.firozabad.nic.in उपलब्ध है। टेण्डर के नियम व शर्तें, नजारत तथा लाइब्रेरी के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती हैं।


(सी०बी० सिंह)
सदस्य, कय समिति/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फिरोजाबाद।



(पी०के० जैन)
सदस्य, कय समिति/
अपर जिला जज/
त्वरित न्यायालय
फिरोजाबाद।


(उमा शंकर शर्मा)
अध्यक्ष, कय समिति/
प्रभारी अधिकारी नजारत
अपर जिला जज,
फिरोजाबाद।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचना पट पर चस्पा करने व बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

- 1-माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 2-जिलाधिकारी फिरोजाबाद/एन०आई०सी० की वेबसाइट www.firozabad.nic.in पर अपलोड कराने हेतु।
- 2-निर्देशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग लखनऊ को अखबार में प्रकाशन हेतु।
- 3-जिला सूचना अधिकारी, फिरोजाबाद को निशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 4-स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
- 5-जनपद के समस्त मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
 1. कार्यालय जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
 2. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।
 3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
 4. कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, फिरोजाबाद।
 5. कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद।
 6. सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञप्ति चस्पा कराने हेतु।



9/10/15

DISTRICT JUDGE
FIROZABAD

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

यू0पी0एस0 बैटरी के टेण्डर आमंत्रित करने हेतु नियम व शर्तें

1. समस्त बैटरी आपूर्तिकर्ता को नजारत अनुभाग जजी, फिरोजाबाद में स्वयं अपने व्यय/खर्च पर पहुँचानी होगी।
2. भुगतान माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुदान प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।
3. आवेदक को टेण्डर के साथ बैटरी का मूल्य व उसका नमूना तथा ब्राण्ड का नाम भी अंकित कर संलग्न करना होगा।
4. किसी भी टेण्डर को निरस्त करने का अधिकार जिला जज, फिरोजाबाद में निहित है। इसके लिए कारण बताने हेतु जिला जज, फिरोजाबाद बाध्य नहीं होंगे।
5. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद होगा।

Chhela

(सी0बी0 सिंह)
सदस्य, कय समिति/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फिरोजाबाद।

P. C. Jain
8-10-15

(पी0के0 जैन)
सदस्य, कय समिति/
अपर जिला जज/
त्वरित न्यायालय
फिरोजाबाद।

U. S. Sharma

(उमा शंकर शर्मा)
अध्यक्ष, कय समिति/
प्रभारी अधिकारी नजारत
अपर जिला जज,
फिरोजाबाद।

Approved
9/10/15

DISTRICT JUDGE
FIROZABAD

यू0पी0एस0 बैटरी का विवरण :-

क्रम सं०	वस्तु नाम तथा साइज	प्रतिष्ठित कम्पनी का नाम	मूल्य दर
1.	यू0पी0एस0 बैटरी, 12 वोल्ट, 28 ए०एच०		

नोट- बैटरी उत्तम क्वालिटी तथा विज्ञप्ति में दर्शित कम्पनी की ही होनी चाहिए।